

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 388
04 फरवरी, 2020 को उत्तरार्थ

विषय : पीएमएफबीवाई के अन्तर्गत बीमा दावे

388. श्री उत्तम कुमार रेड्डी :

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनियों का किसानों पर कुल कितना देय है;
- (ख) बीमा कम्पनियों द्वारा लाभार्थियों को दावों के भुगतान में विलंब के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
- (ग) इन शिकायतों के आधार पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और बीमा कंपनियों पर क्या शास्तियां लगाई गई हैं; और
- (घ) किसानों के बीमा दावों की प्रक्रिया को सरल और सुचारु बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): इस योजना की शुरुआत से सूचित दावों, अनुमोदित दावों और बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को किए गए भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	सूचित दावे	अनुमोदित दावे	भुगतान किए गए दावे
2016-17	16774	16774	16768
2017-18	21926	21858	21816
2018-19*	23176	20915	20015

* रबी 2018-19 के लिए कुछ फसलों/क्षेत्रों के दावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) से (ग): इस योजना के कार्यान्वयन के दौरान देश में पिछले कुछ समय से दावों का भुगतान न करने व देरी से भुगतान करने; बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/देरी से देने के कारण दावों का कम भुगतान करने; उपज आंकड़ों में विसंगति, बीमा के बड़े इकाई क्षेत्र के कारण फसल नुकसान का गलत आकलन होने; निधियों का सरकारी अंश प्राप्त होने में विलम्ब आदि के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। संबंधित राज्य सरकार, बीमाकर्ता और मंत्रालय द्वारा इनमें से कुछ शिकायतों का उपयुक्त रूप से समाधान किया गया।

इस योजना के संशोधित प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार बीमा कंपनियों को दावों के देर से भुगतान के लिए किसानों को प्रति वर्ष 12% की दर से दण्डात्मक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है जो कुछ शर्तों के अधीन है। सरकार ने दिनांक 25 सितम्बर, 2019 के पत्र के माध्यम से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, चोलामंडलम-एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई-लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर क्रमशः 3.30 करोड़ रुपए, 0.09 करोड़ रुपए, 0.51 करोड़ रुपए, और 0.16 करोड़ रुपये करोड़ का ब्याज दंड लगाया है। इसके उत्तर में उन्होंने सफाई देते हुए समीक्षा के लिए अनुरोध किया है बीमा कंपनियों द्वारा दी गई सफाई पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई गई है।

इसके अलावा, राज्य सरकारों को बीमा कंपनियों पर स्वयं जुर्माना लगाने की सलाह दी गई है। तदनुसार, कुछ राज्य सरकारों जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा ने भी बीमा कंपनियों पर इस योजना के कुछ प्रावधानों के गैर-निष्पादन के लिए जुर्माना लगाया है और बीमा कंपनियों की प्रीमियम राजसहायता के राज्य अंश से जुर्माना काट लिया है।

इसके अलावा, ऐसी शिकायतों का समाधान करने के लिए इस योजना के संशोधित प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) जैसे स्तरीकृत शिकायत निवारण कार्यंत्र का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपने संबंधित राज्यों में जिला/राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति को अधिसूचित किया है।

(घ): पीएमएफबीवाई के प्रावधानों के अनुसार किसानों को सूखा, बाढ़ आदि जैसी व्यापक आपदाओं के संबंध में दावे दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है। बीमा कंपनियों द्वारा उपज आंकड़ों, संबंधित राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत प्रति इकाई क्षेत्र के आधार पर दावों की गणना और भुगतान किया जाता है। हालांकि, किसानों नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी/राज्य सरकार/वित्तीय संस्थानों को सूचना देनी होती है। राज्य सरकार/वित्तीय संस्थानों द्वारा बीमा कंपनियों को सूचना देने के लिए अतिरिक्त 48 घंटे दिए जाते हैं।

दावों के निपटान में समयवधि को कम करने के लिए सरकार द्वारा पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी के अलावा कई कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं - फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) से संबंधित सूचना के प्रसार व एकत्रीकरण के लिए सीसीई एग्री ऐप/स्मार्टफोन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों का संशोधन जिसमें तीन किस्तों में राज्य सरकार के अंश की समय पर निर्मुक्ति के लिए प्रावधान किया गया है तथा राज्यों द्वारा प्रीमियम राजसहायता के अंतिम/तीसरी किस्त का इंतजार किए बिना बीमा कंपनियों द्वारा दावों का निपटान तथा दावों के शीघ्र निपटान करने के लिए मौसमी अवधि में 15 दिनों का एडवांसमेंट। इन दिशानिर्देशों के तहत बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान के देरी से निपटान और राज्य सरकारों द्वारा निधियों को देरी से जारी करने के लिए जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
